स्नातक द्वितीय खण्ड(पत्र–चतुर्थ)

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

राजनीतिक दल और दल प्रणाली (Political Parties and Party system)

राजनीतिक दलों का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definitions of Political Parties) – राजनीतिक दल का अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो समस्या और समाधान के संबंध में एकमत हैं और अपने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढ़ग से काम करने का निश्चय किया हो। ऐसे में राजनीतिक दल का अर्थ एवं परिभाषा को समझना आवश्यक है। राजनीतिक दल को परिभाषित करना काफी कठिन है क्योंकि उदारवादी तथा मार्क्सवादी लेखकों के दृष्टिकोण में काफी अन्तर है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक दल की अलग–अलग परिभाषाएँ दी है, जो इस प्रकार है :–

न्यूमैन के अनुसार –"राजनीतिक दल एक स्वतंत्र समाज में नागरिक के उस व्यवस्थित समुदाय को कहते हैं जो शासनतंत्र को नियंत्रित करना चाहता है और उनके लिए जनसहमति में भाग लेकर कुछ सदस्यों को सरकारी पदों पर भेजने का प्रयास करता है।"

एडमण्ड बर्क के अनुसार – "राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्वांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है।"

बेंजामिन कांसटैंट के अनुसार – "दल समान राजनीतिक सिद्वान्त में आस्था रखने वाले व्यक्तियों का समूह है।"

मैकाइवर के अनुसार – "राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्वान्त या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्वान्त अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता है।"

गेटल के अनुसार – "राजनीतिक दल पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से संगठित उन नागरिकों का एक समूह होता है जो एक राजनीतिक संस्था की भॉति कार्य करते हैं और जिसका ध्येय अपने मताधिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना व अपनी सामान्य नीति का सम्पादन करना है।"

राजनीतिक दल की परिभाषा के लिए आवश्यक तत्व – 1. सार्वजनिक नीति के महत्वपूर्ण विन्दु पर सहमत 2. सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष 3. संवैधानिक साधनों से सत्ता पाकर अपनी नीतियों व कार्यक्रमों को लागू करने का सामूहिक प्रयास।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि "**राजनीतिक दल** लोगों का ऐसा संगठन है जिसमें समान विचारधारा के लोग आपस में संगठित व एकजुट होकर किसी खास सिद्वांत पर राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं।"

राजनीतिक दलों की भूमिका एवं महत्व (Significance of Political Parties)

लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल का काफी महत्व है। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र की कल्पना अकल्पनीय है। इसलिए राजनीतिक दल को "**लोकतंत्र का प्राण**"(Life blood of democracy) कहा गया है तथा राजनीतिक दल को **शासन का चतुर्थ अंग** (Fourth organ of the Government) कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, बिना दल प्रणाली(राजनीतिक दल) के संभव नहीं है। संसदीय अथवा अध्यक्षात्मक शासन का क्रियान्वयन भी राजनीतिक दल के संभव नहीं है। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने तथा स्थिर बनाने का काम करते हैं। राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं के सहयोग से जनता के नेतृत्व के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करता है और राजनीतिक व्यवस्था को संचालन की शक्ति प्रदान करता है। राजनीतिक दल अपने नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है। राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण एवं अभिव्यक्ति को सर्वोत्तम साधन है। वह अर्मूत्त मतदाता को मूर्त्त रूप देता है। वह चुनाव में अपने दल के प्रत्याशी को खड़ा करता है तथा उसके माध्यम से अपने भावी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार कर मतदाताओं को अपने दल के प्रति आकर्षित कर, अपने दल के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करता है। चुनाव में विजयी होने पर सरकार बनाते हैं तथा पराजित होने पर सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तथा सरकार की नीतियों का आलोचना करते हैं तथा गलत नीतियों के विरोध में सदन में आवाज उठाते हैं। सदन में जनता की मॉगों के समर्थन में भी आवाज उठाते हैं। इस प्रकार राजनीति दल के बिना वास्तविक लोकतंत्र सभंव नहीं है।

राजनीतिक दलों की विशेषताएँ अथवा तत्व

राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व निम्न प्रकार हैं :–

1. **संगठन** – राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुॅचाने, दल को मजबूत करने तथा उसे स्थायी रूप देने के लिए संगठन का होना नितांत आवश्यक है। संगठन के माध्यम से ही कोई भी राजनीतिक दल अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को

जनता तक पहुॅचा सकता है। प्रत्येक दल के संगठन का अपना लिखित अथवा अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, सिद्वांत, पदाधिकारी होता है। वे संगठन के माध्यम से सभी को अनुशासित रखते हैं। संगठन के आभाव में कोई भी राजनीतिक दल नहीं हो सकता है और न ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है।

2. **मूलभूत सिद्वान्तों में एकता** – राजनीतिक दल सार्वजनिक नीति के मौलिक सिद्वांतो पर सहमत होते हैं तथा अपनी विचार रखते हैं। सिद्वांतों की एकता ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्वान्तिक सिद्वांत में मतभेद होने पर दल कमजोर हो जाता है तथा विघटन की सम्भावना हो सकती है।
3. **लक्ष्य प्राप्ति हेतु ठोस नीति** – राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्रियात्मक कार्यक्रम व मंच तैयार करना चाहिए तथा अपने कार्यकर्त्ता को एकता के सूत्र में रखते हुए तथा प्रभावशाली ढ़ग से मतदाताओं को अपने दल के प्रति आकर्षित करना चाहिए। कार्यक्रम के निर्माण में इस बात का ख्याल रखना होगा, जिसमें सामान्य जनता का हित परिलक्षित हो।
4. **संवैधानिक साधनों का प्रयोग** – राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य(सत्ता) प्राप्ति के लिए हमेशा संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। प्रजातंत्र में क्रांतिकारी दल का कोई स्थान नहीं है। यदि साम्यवादी दल राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसे हिंसा एवं बल के प्रयोग को त्यागना होगा तथा केवल संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग के लिए सहमत होना होगा। अतएव यह कहा जा सकता है कि बिना संवैधानिक साधनों के कोई भी दल राजनीतिक दल नहीं हो सकता हैं।
5. **राष्ट्रीय हित की वृद्वि** – किसी भी राजनीतिक दल की नीतियॉ एवं कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। अर्थात् वैसी नीति अथवा कार्यक्रम जिसमें राष्ट्र के समस्त नागरिकों का हित हो। किसी भी राजनीतिक दल को जाति, धर्म, सम्प्रदाय अथवा वर्ग के हित से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्वि हेतु चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई संगठन वर्ग, जाति या सम्प्रदाय विशेष हित का साधन करते हैं तो उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता है।

राजनीतिक दलों के कार्य (Function of Political Parties)

1. **सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण** – राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों एवं योजनाओं का प्रचार–प्रसार करते हैं। राजनीतिक दल विभिन्न पहलूओं यथा– राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलूओं से जनता को अवगत कराते हैं। प्रो0 लास्की के अनुसार – "आधुनिक राज्यों के भ्रांतिपूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन करके यह आवश्यक है कि वरीयता के आधार पर कुछ को अत्यन्त शीघ्र निपटाने के लिए छांटना चाहिए और उनके निदान के लिए जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। चयन का यह कार्य दलों द्वारा ही होता है।"

2. **सत्ता पर अधिकार** – प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता पर अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। वह अराजकता हटाकर व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करता है। वह जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर उसे व्यापक बनाकर एक–दूसरे के अनुकुल बनाते हैं।
3. **सरकार और जनता के बीच समन्वय स्थापित** – राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच सम्पर्क–सूत्र का काम करते हैं। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं तथा आकांक्षाओं को सरकार के समक्ष रखता है और सरकार से उन समस्याओं का निदान कराने का प्रयास कराता है तथा सरकार की स्थिति से जनता को भी अवगत कराता है। राजनीतिक दल निर्वाचकों को शिक्षित करने, समय–समय पर दिशा–निर्देश देने तथा उसे जागरूक करने का भी काम करते हैं अर्थात् वे राजनीतिक जन जागरण, लौकिकीकरण तथा भर्तीकरण का कार्य करते हैं।
4. **शासन का संचालन** – राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाने का कार्य करती है तथा अपने दल के योग्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंत्री नियुक्त करते हैं तथा चुनाव के समय प्रसारित घोषणा पत्र में उल्लेखित वायदों को पूरा करने का काम करती है।
5. **सरकार की आलोचना** – यदि चुनाव में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह विपक्ष में अपनी भूमिका निभाता है। विपक्षी राजनीतिक दल का दायित्व हो जाता है कि वह शासन को सचेत रखें। सच ही कहा गया है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा, सत्ता पक्ष उतना ही अपने कार्य के प्रति सजग होगा। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर अपने दल के प्रति लोकमत तैयार करते हैं। वह सरकार की नीतियों का रचनात्मक आलोचना करके उस नीति के विरूद्व वैकल्पिक नीतियॉ प्रस्तुत करता है।
6. **चुनावों का संचालन** – राजनीतिक दल से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट होती है। चुनाव के समय क्षेत्र के अनुकूल राजनीतिक दल अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं। उस प्रत्याशी के माध्यम से अपना घोषणा–पत्र जनता तक पहुॅचा कर मतदाता को अपने दल के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करते हैं तथा बड़ी बड़ी बातें कर मतदाताओं को लुभाने का भी प्रयास करती है। वे चुनाव में अपने प्रत्याशियों के जीताने का हर संभव प्रयास करते हैं।
7. **लोकमत का निर्माण** – प्रत्येक राजनीतिक दल शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना चाहता है। जो राजनीतिक दल सत्ता में नहीं है उसका प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जनता को सुविधा दिलाकर उसका मत अपने पक्ष में कर लें। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार – "लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण एवं अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है।"

8. **राजनीतिक प्रशिक्षण** – राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षण देने के लिए संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न पहलूओं से समस्या का पता लगाकर उसका समाधान खोजते हैं। इससे नागरिको में राजनीतिक चेतना जागृत होती है।
9. **सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य** – अधिकांश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को उन्नत करने का कार्य करते हैं। इसके लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किया जाता है।
10. **दलीय कार्य** – प्रत्येक राजनीतिक दल अपने दल का विस्तार करने के लिए सदस्यता अभियान चलाता है। सदस्यता अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को अपने दल से जोड़ने का प्रयास करता है। दल के सक्रिय सदस्यों को कार्यभार सौंपता है। दल के लिए चन्दा इकटठा् करता है। समय–समय पर दलीय सम्मेलन अथवा सार्वजनिक सभाओं का आयोजन भी करता है।